कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून–248195

फोन–(0135)-2970866, 2970867,फैक्स–(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in,Website : www.agua.cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक : 163/प्रशासन-II/ए.जी.यू.के (ले0एवंहक0)/ए0जी0टी0/2020/01 दिनांकः 12.05.2020

कार्यालय आदेश

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 25.03.2020 से तालाबन्दी की गयी है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 239/xxxi(15)G-04(सा0)/ 2020 दिनांक 02.05.2020 द्वारा शासकीय कार्यालयों को दिनांक 04.05.2020 से खोला गया है। उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माग विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग आादि के विभिन्न खण्डों में इस कार्यालय द्वारा खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग की तैनाती की जाती हैं। उक्त संवर्ग में कार्मिको की कमी है जिसके कारण अन्यत्र जिलो/स्टेशनो से सम्बन्धित खण्डो का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उक्त शासन के द्वारा सरकारी कार्यालयों के खोले जाने की स्थिति में उक्त संवर्ग के कार्मिकों के अतिरिक्त प्रभार के खण्डो में अन्यत्र जिलों/स्टेशनों से सार्वजनिक यातायात व्यवस्था शुरू न होने के कारण आवागमन करने में बाधा आ रही है जिसके कारण अतिरिक्त प्रभार से सम्बन्धित खण्डों के मार्च–2020 के मासिक लेखा को तैयार करके इस कार्यालय को प्रेषित नही किया जा रहा है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संवर्ग के अतिरिक्त प्रभार से सम्बन्धित खण्डों के कार्यो के सफल संचालन हेतु सार्वजनिक यातायात सुलभ होने तक सभी खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकारो द्वारा आपसी सामंजस्य से उसी जिले/स्टेशन में पदस्थापित अन्य खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार से कार्य देखना सुनिश्चित करे एवं उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करे।

हस्ताक्षरित

उपमहालेखाकार/प्रशासन

पत्रांक : 163/प्रशासन-II/ए.जी.यू.के (ले0एवंहक0)/ए0जी0टी0/2020/12-16 दिनांकः 12.05.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महालेखाकार (ले0एवंहक0), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उपमहालेखाकार(लेखा एवं प्रशासन) प्रकोष्ठ।
3. द्वैत प्रभार से सम्बन्धित खण्डों के समस्त अधिशासी अभियन्ता
4. डाटा मैनेजर, स्थानीय को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वैबसाईट के डी0ए0 कॉर्नर पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. महासचिव, उत्तराखण्ड खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार संघ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेष को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने स्तर से खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग के सभी कार्मिकों को सूचित करना सुनिश्चित करे।

12/5/20

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन-II